

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना संख्या - 104/2023
(अपील संख्या- 3504/2022)

देवेन्द्र कुमार शर्मा

—प्रार्थी—अपीलार्थी

बनाम

1. श्री पवन कुमार गोयल, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्री गोरव अग्रवाल, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. श्री भरत लाल मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारम्भिक शिक्षा, करौली।
4. श्री कैलाश चंद मीणा, मुख्य खण्ड शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, हिन्दोन सिटी, करौली।
5. श्री सत्येन्द्र कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय, करौली, खण्ड हिन्दोन सिटी, करौली।

—अप्रार्थीगण—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक - 31.07.2023
आदेश की दिनांक - 19.11.2024

उपस्थिति :-

प्रार्थी—अपीलार्थी की ओर से - कोई उपस्थित नहीं।
अप्रार्थी—प्रत्यर्थीगण की ओर से - श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, अधिवक्ता।

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता श्री गौरव सिंह उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी विभाग का कथन है कि अधिकरण के आदेश की पालना नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण आदेश दिनांक 27.12.2023 के द्वारा किया जा चुका है एवं अपीलार्थी को स्थाईकरण का काल्पनिक लाभ दिनांक 02.02.1990 को दिया जा चुका है।
3. ऐसे में हम पाते हैं कि अधिकरण के आदेश की पालना सम्यक रूप से प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की जा चुकी है। अतः इसी आधार पर अवमानना की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)